

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-475 / 16
संस्थापित दिनांक 26 / 08 / 16
फाईलिंग नं.121 / 2017

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

-: विरुद्ध :-

1. आनंदराव पिता मलकू चौहान, उम्र 27 वर्ष,
2. रामदास पिता घुड़न चौहान, उम्र 36 वर्ष,
 दोनों-जाति चौहान, नि0ग्राम परसोड़ी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियुक्तगण**

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 07 / 03 / 2017 को घोषित)

1- अभियुक्त राकेश के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 279, 337, 304''ए'' एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146/196 के तहत तथा अभियुक्त रामदास के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180, 146/196 के तहत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि आपने दिनांक 31/07/16 को समय 18:20 बजे के करीब या उसके लगभग स्थान खापा जोड़ आमला बोरदेही रोड, सुनील कापसे के खेत के पास ग्राम तोरनवाड़ा, थाना-आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक मार्ग पर वाहन मोटर सायकल एम0पी0 48 एम.एफ 9821 टी.व्ही एस स्टार है, को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत आनंदराव चौहान को उपहति कारित किया। आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत जितेन्द्र की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। आपने बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया। आप अभियुक्त रामदास ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने दिया। आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाने दिया।

2- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता ग्राम परसोड़ी रहता है। खेती किसानी करता है। उसका लडका जितेन्द्र पंवार जो भोपाल में प्रायवेट नौकरी करता था। कल सुबह छुट्टी पर आया था कल दिनांक 31/07/16 को दोपहर बाद उसके दोस्त आनंदराव चौहान के साथ मोटर साईकिल से आमला तरफ लाया था। शाम करीब 7-8 बजे उसे खबर लगी कि उसके लडके जितेन्द्र पवार तथा उसके दोस्त

आनंदराव का तोरनवाड़ा के पास खापा जोड़ पर एक्सीडेंट हो गया है तो वह तथा उसका भाई बलवीर घटना स्थल पर जाकर देखा, उसका लडका जितेन्द्र रोड किनारे घायल पड़ा था फिर वह लोग जितेन्द्र को बैतूल इलाज कराने ले गये। तथा बैतूल से रिफर होने पर नागपुर तरफ इलाज कराने ले जा रहे थे कि रास्ते में उसके लडके जितेन्द्र की मौत हो गई। फिर रास्ते से ही वापस आकर आमला हास्पिटल में रखा।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया है जिसके आधार पर अपराध कं0-434/16 का अपराध धारा-279, 337, 304“ए” भा0द0वि0 एवं 3/181, 5/180, 146/196 मोटर व्ही0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मार्ग इन्टीमेशन प्र0पी0 1 तैयार किया गया। मृत्यु जांच पंचायतनामा, नक्शा पंचायतनामा, दिनांक 01/08/16 एवं दिनांक 15/08/16 को घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 01/08/16 एवं दिनांक 17/08/16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये। दिनांक 17/08/16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्तगण का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— —: अभियुक्त आनंदराव के संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1—“क्या आपने दिनांक 31/07/16 को समय 18:20 बजे के करीब या उसके लगभग स्थान खापा जोड़ आमला बोरदेही रोड, सुनील कापसे के खेत के पास ग्राम तोरनवाड़ा, थाना-आमला, जिला बैतूल म0प्र0 अंतर्गत लोक मार्ग पर वाहन मोटर सायकल एम0पी0 48 एम.एफ 9821 टी.व्ही एस स्टार है, को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत आनंदराव चौहान को उपहति कारित किया?

3— उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को आपने उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत जितेन्द्र की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता?

4— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के वाहन चलाया?

5— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?

6— —: अभियुक्त रामदास के संबंध में विचारणीय प्रश्न यह है कि—

1— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने दिया?

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाने दिया?"

**—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क0 1 से 3 का निराकरण**

7— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं 1 से 3 निराकरण किया जा रहा है जिससे की पुनरावृत्ति न हो।

8— अभियोजन साक्षी दुर्गाप्रसाद (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके छोटे लड़के रोहित ने फोन लगाया तो 100 नं. के डायवर ने बात किया कि जिसके अपने फोन लगाया है उसका एक्सीडेंट खापा जोड़ में हो गया है आप जल्दी आ जावे। वहां पर उसका लड़का संदीप और बलवीर घटना स्थल पर गये। फिर अस्पताल की गाडी 108 में डालकर आमला अस्पताल लेकर आ गये। आगे इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि नागपुर जाते-जाते रास्ते में बड़ चिचोली के पास ही उसका लड़का जितेन्द्र खतम हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं था उसे घटना के बारे में नहीं मालूम। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना कैसे घटी है उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई हो, के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9— अभियोजन साक्षी बलवीर (अ0सा02) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्त आनंदराव और उसका भतिजा जितेन्द्र मोटर साईकिल में बैठकर आमला आए थे जाते-जाते समय उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, कैसे एक्सीडेंट हुआ उसे नहीं मालूम। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर नहीं था इसलिए से नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह ने भी घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई, के तथ्यों का अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से समर्थन नहीं किया है।

10— अभियोजन साक्षी कृष्णपाल (अ0सा04) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं बताए हैं कि घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई हो और वहीं व्यक्ति घटना के समय वाहन चला रहा था। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि दुर्घटना कैसे हुई, उसे नहीं मालूम। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी संदीप (अ0सा05) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में ऐसे कोई तथ्य नहीं बताए हैं। अभियुक्त घटना के समय वाहन मोटर साईकिल उपेक्षा व उतावलेपन से चला रहा था। और उसकी उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि उसे दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

11— अभियोजन साक्षी अशोक (अ0सा03) एवं अभियोजन साक्षी मुन्नीबाई (अ0सा07) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है।

12— अभियोजन साक्षी नान्हीबाई (अ0सा06) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त मोटर साईकिल को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से

चला रहा था और उसी की लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई। जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घर पर थी। घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार इस गवाह ने भी घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई हो, के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

13— अभियोजन साक्षी नीतू (अ0सा08) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि घटना के समय गाड़ी कौन चला रहा था वह नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई कौन गाड़ी चला रहा था उसे और उसकी मम्मी को नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह ने भी घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई हो, के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

14— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने वाहन मोटर सायकल एम0पी0 48 एम.एफ 9821 टी.व्ही एस स्टार है, को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत आनंदराव चौहान को उपहति कारित किया। उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत जितेन्द्र की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1,2,3 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

अभियुक्त आनंदराव के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं 4 एवं 5 एवं अभियुक्त रामदास के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं 1 व 2 का निराकरण

15— अभियोजन साक्षी दुर्गाप्रसाद (अ0सा01), अभियोजन साक्षी बलवीर पवार (अ0सा02), अभियोजन साक्षी अशोक (अ0सा03), अभियोजन साक्षी कृष्णापाल (अ0सा04), अभियोजन साक्षी संदीप (अ0सा05), अभियोजन साक्षी नान्हीबाई (अ0सा06), अभियोजन साक्षी नीतू (अ0सा08) उक्त गवाहों की मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन मोटर साईकिल एम0पी0 48 एम.एफ. 9821 टी.वी.एस स्टार को उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की। जब यह अभियोजन साक्षियों के द्वारा यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन चला रहा था तो ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा बिना लायसेंस के वाहन चलाया और यह भी नहीं माना जा सकता कि बिना बीमा के वाहन चलाया। इस प्रकार अभियुक्त आनंदराव के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं. 4 एवं 5 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है। उक्त साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर यह भी नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त रामदास के द्वारा बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। और यह भी नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त रामदास ने बिना बीमा के वाहन को चलाने दिया। इस प्रकार अभियुक्त रामदास के संबंध में विचारणीय प्रश्न कं. 1 व 2 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

16— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने वाहन मोटर सायकल एम0पी0 48 एम.एफ 9821 टी.व्ही एस स्टार है, को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त

संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत जितेन्द्र की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने वाहन को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर आहत जितेन्द्र की मृत्यु कारित किया जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने उक्त वाहन को बिना लायसेंस के चलाया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त आनंदराव ने उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया।

17— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त रामदास के द्वारा बिना लायसेंस के व्यक्ति को वाहन चलाने दिया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त रामदास के द्वारा बिना बीमा के वाहन को चलाने दिया। इस प्रकार अभियुक्त आनंदराव को भा0द0वि0 की धारा-279, 337, 304 “ए” एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। साथ ही अभियुक्त रामदास को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में अभियुक्तगण के धारा 313 द0प्र0सं0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम0पी0 48 एम.एफ. 9821 पूर्व से आवेदक/सुपुर्ददार रामदास पिता घुड़न नि0 परसोड़ी की सुपुर्दगी पर है। अन्य किसी व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

